फर्द अहकाम

मदनसिंह वगै. **बनाम** V/S रोहिताश्वसिंह वगै.

प्रार्थना पत्र

0/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विशेष वि...	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	07.05.18 प्रह्लाद सिंह जगदीश सिंह	प्रकरण राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ। प्रार्थी सं. 2,4 एवं अप्रार्थी सं. 18,19,22, 24, उपस्थित हुए। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। पूर्व तारीख 05.10.17 को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 28 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। ग्राम रामपुरा खुर्द के हाल ख.नं. 546, 547, 549 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी, तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 103 रकबा 12 बीघा ग्राम जोतला रहे हैं। उपस्थित उभय पक्ष का निवेदन रहा कि लागू होने टीनेन्सी एक्ट आराजी की काश्त के आधार पर उभय पक्ष के बुजुर्ग के नाम खातेदारी दर्ज नहीं कर जागीरदार भंवर सिंह के नाम ही खातेदारी दर्ज कर दी गई। उक्त खातेदारी दर्ज किये जाने के विरुद्ध पक्षकारान के बुजुर्ग एवं अन्य परिवार सदस्यों ने ACM शाहपुरा के यहाँ वाद सं. 67/80 पेश किया जो 21.07.80 को डिक्री किया गया। उक्त वाद में बिसाल सिंह, शिशपाल सिंह, मूल सिंह, हनुत सिंह के वारिस होने से हिस्सा 1/2 यानी प्रत्येक 1/6 - 1/6 के हिस्सेदार एवं मल्लू सिंह के पुत्र उमराव सिंह के वारिस प्रहलाद सिंह	नि. करणसिंह नि. नारायण... नि. सवाईसिंह भवानीसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी

नाम न्यायालय	उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	80/2017	
केस संख्या			
क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		...मौ० हिस्सा 1/2 के हिस्सेदार दर्ज होने चाहिए थे। प्रार्थी का यह भी निवेदन रहा कि निर्णय व डिक्री 21.07.80 के आधार पर हाल सैटलमेंट कर्मचारियों ने पूर्व खातेदार भैरू सिंह के स्थान पर ख.नं. 446, 447, 449 की खातेदारी शिशुपाल सिंह, प्रहलाद सिंह, सवाई सिंह नारायण सिंह, मलखान सिंह, प्रभु कंवर के नाम हि० बराबर दर्ज रिकार्ड किया गया, जो गलत है। यह भी कि निर्णय व डिक्री 21.07.80 के मुताबिक मूल सिंह का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हि० दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके नाम खातेदारी दर्ज नहीं की गई। अतः प्रार्थी द्वारा दस्तगलवाद प्रार्थीगण के कानूनी बंटवारा चाहकर दुरुस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है। वाद में मुख्य विवाद निर्णय डिक्री 21.07.80 की सही रूप में पालना नहीं होने का है। प्रार्थी द्वारा वाद के अनुतोष तथ्यों का न्याय पूर्ण निर्णय पूर्ण साक्ष्यो उपरान्त सम्भव होगा। अतः वाद के न्यायपूर्ण निर्णय तक अप्रार्थीगण को वादेअहा मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गांधीनगर के →	
		(हस्ताक्षर) 7/5/18	
		उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

रोहिताश्वसिंह वगैरा
प्रार्थनापत्र

बेड़ा दर्ज होने
... की निवेदन
21.07.80 के
सैटलमेन्ट कर्मचारियों
सिंह के स्थान
549 की खातेदारी
सिंह, सवाईसिंह
सिंह, प्रभु कंवर
रिकार्ड किया

21.07.80 के
विवादग्रस्त आराजी
... चाहिए था,
... दर्ज नहीं
... हस्तगतवाद
... चाहकर
... खातेदारी
... बाद में भुल्प
...80 की सही
... का है। प्रार्थी
... तथ्यों का न्याय
... उपरान्त
... वाद के न्यायपूर्ण
... को वाकैनामा
... धारा से पाबन्द
... प्रार्थीगण के

फर्द अहकाम

मदनसिंह वगैरा बनाम VIS रोहिताश्वसिंह वगैरा
प्रार्थनापत्र

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

80/2017

विशेष विवरण तथा आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ख.नं. 546, 547, 549 के हिस्सा 1/6 पर प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे हि. 1/6 के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)	